

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान निशान्त बनाम विशाल कुमार आदि

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

क्रमांक ~~222~~⁶⁴/2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
27.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेण्ट स्वयं उपस्थित आये। उभयपक्ष ने लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे। अतः मुताबिक सहमति अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के प्र० सं० 69/2018 अनवान विशाल कुमार बनाम जगदीश चन्द आदि में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Lario</i> 27.7.23</p> <p style="text-align: center;">राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़</p>	